

26/1
195-07

////// कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा विभाग, वरुल
=====

-: कार्यालय-आदेश :-

श्रीमान उच्च निदेशक (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा राजस्थान वोकानेर के पत्रांक :
जिबिआ-माध्य/सा/अ-4/21313/2007-08/मो-गाा दिनांक: 27/4/2007 को पालना
में गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय की मान्यता विवेकानन्द
विश्वविद्यालय उन्नाव के तहत जीव विज्ञान संकाय:- जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान,
कृषि विज्ञान, उद्योग विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, कला संकाय:- कम्प्यूटर

निम्नलिखित शर्तों के तहत सक्षम स्तर पर अनुदान उपरान्त सत्र 2007-08 में जो स्थो-
रुति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

- 1. राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 को पालना करने
होगे।
- 2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के मान्यता/सम्बद्धता संबंधित विनियमों को
को पालना करने होंगे एवं बोर्ड को मान्यता आवेदन पत्र प्रपत्र-कैम्पस शुल्क के उप-
लब्ध करवाना होगा।
- 3. सत्र 2007-08 में कक्षा 11 एवं सत्र 2008-09 में कक्षा 12 प्रारंभ करने होंगे।
- 4. राज्य सरकार द्वारा अनुदान देय नहीं होगा।
- 5. राज्य सरकार / विभाग द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों/नियमों/निर्देशों को
पालना करने होंगे एवं वांछित सचनार्थ/अभिलेख उपलब्ध करवाने होंगे।
- 6. महिला क्षेत्रों में कक्षा 9 में छात्र संख्या 20 व छात्रा संख्या 15 तथा कक्षा 11 में छात्र
संख्या 30 एवं छात्रा संख्या 20 से कम हो तो कक्षाएं आरंभ नहीं की जावे।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, वरुल

क्रमांक: जिबिआ/माध्य/वरुल/सामान्य/सा-227/2007

दिनांक: 09/5/2007

प्रति लिखित निम्नलिखित को सूचनाथ सादर प्रेषित है:-

1. श्रीमान सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर।

जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा, वरुल